



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012  
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक- 54/2020

आर.बी.ई. सं.- 94/2020

पत्र सं का/254/2/भाग'23/चार

दिनांक 04-11-2020

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Procedure for filling up the posts of Skilled Artisan against 25% quota.

.....

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) I-2019/PM 7/3 Dated 02-11-2020 की अग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक/यथोपरि



(प्रदीप कुमार)

वकाधि/मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012  
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक— 54 / 2020

आर.वी.ई. सं.— 94 / 2020

पत्र सं का / 254 / 2 / भाग'23 / चार

दिनांक 04-11-2020

सचिव / महाप्रबन्धक

सचिव / अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना

विषय :- Procedure for filling up the posts of Skilled Artisan against 25% quota.

.....

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(NG) I-2019/PM 7/3 Dated 02-11-2020 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।  
संलग्नक / यथोपरि

(प्रदीप कुमार)

वकाधि / मुख्यालय

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री / एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री / एस.सी. / एस.टी. एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोरखपुर ।

  
04.11.20

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

(122)

E.B. No. 94

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2019/PM 7/3

New Delhi, dated November 2<sup>nd</sup>, 2020

**The General Managers**  
**All Zonal Railways.**  
(as per standard mailing list)

**Sub: Procedure for filling up the posts of Skilled Artisan against 25% quota.**

\*\*\*\*


As the Railway Administration are aware, instructions contained in Railway Board's letter No.E(NG)I/96/PM 7/56 dated 02.02.1998 (RBE No.23/98) and Para 159 of IREM Vol.I, inter-alia provide that 25% posts of Technician-III in various Engineering Departments is filled up from serving semi-skilled and unskilled staff with educational qualification as laid down in the Apprentices Act and 50% by promotion of staff in the lower grade as per prescribed procedure.

It has been reported that the Railways were facing difficulty in filling up the vacancies in the aforesaid category in P.Way of the Civil Engineering Department due to lack of basic knowledge of P.Way working among the eligible feeder categories.

The matter has accordingly been considered by the Railway Board in consultation with the Zonal Railways and the Civil Engineering Dte., and it has been decided that the category of Track Maintainers may also be made eligible to be considered for promotion to the posts of Technician-III (Level-2) in the P.Way/Engineering Department.

Please acknowledge receipt.

This also disposes of South East Central Railway's letter No.P-HQ/RUL/105/13/1219 dated 01.04.2019

  
(D. Joseph)  
Joint Director/Esst.(N)  
Railway Board

No.E(NG)I-2019/PM 7/3

New Delhi, dated November 2<sup>nd</sup>, 2020

...p/2..

*circulated*  
*4.11.20*  
*ch-23*